न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 216/2014

वादी :-

1. श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) जाति-ब्राह्मण उम्र-35 वर्ष निवासी हाल-मैनेजर श्री सीमेन्ट लि., रास मौजा-रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. रामगोपाल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लि जरिये अधिकृत प्रतिनिधि संजय भण्डारी पुत्र श्री राजमल भण्डारी, जाति-जैन नि0 10ए अमर विजय कॉम्पलैक्स होटल मानसिंह के पास संचार चन्द्र रोड़ जयपुर।
2. बस्तीवल्द जीवण फौत के कायम मुकाम :-

2/1. फमूली बेवा बस्ती,
2/2. ओमप्रकाश वल्द बस्ती,
2/3. हेमराज वल्द बस्ती
2/4. सीमा पुत्री बस्ती
2/5. पूजा पुत्री बस्ती

जातियान-गुर्जर निवासीगण-खेडा(रास) तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज0) प्रतिवादीगण सं 2/2 से प्रतिवादी सं 2/5 नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता फुमली बेवा बस्ती

3. बीजा वल्द जीवन
4. सोहन बेवा जीवन
   जातियान-गुर्जर, निवासी-खेडा(रास) तह0-जैतारण, जिला-पाली
5. दुर्गा वल्द फुसा फौत के कायम मुकाम :-

5/1. संगीता पुत्री दुर्गा
जाति-भाम्बी, निवासी-ब्यावर जिला-अजमेर (राज0)

6. बनवारी वल्द रतन नायक
   जाति-नायक, निवासी-ब्यावर जिला-अजमेर राज0
7. चौथा वल्द नैना फौत के कायम मुकाम :-

7/1. जेती बेवा चौथा
7/2. श्रवण पुत्र चौथा
7/3. कालू पुत्र स्व0 चौथा फौत के कायम मुकाम :-
7/3/1. गणकी बेवा कालू
7/3/2. नौरती पुत्री कालू
7/3/3. धीरकी पुत्री कालू

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

7/4. नारायणी पुत्री चौथा
7/5. सुन्दरी पुत्री चौथा
7/6. कमली पुत्री चौथा
7/7. मतिया पुत्री स्व0चौथा
7/8. सन्तु पुत्री स्व0चौथा
जातियान–गुर्जर निवासी–खेड़ा(रास)
तह0–जैतारण, जिला–पाली
प्रतिवादीण सं 7/3/2 नोरती, 7/3/3
धीरकी नाबालिग जरिये कुदरती वली
माता प्रतिवादी सं 7/3/1 गणकी
बेवा कालू

8. रामा वल्द ऊंकार
9. गिरधारी वल्द ऊंकार
जातियान–गुर्जर, निवासी–खेडा(रास)
तह0–जैतारण, जिला–पाली
10. नीतिन भाटी वल्द सुन्दरलाल भाटी
जाति–धोबी, निवासी–ब्यावर
तहसील–ब्यावर, जिला–अजमेर
11. तहसीलदार, जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.07/11/2014

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री एम.एस. पठान, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 16/10/2017

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लांट बांगड़ सीमेन्ट के नाम से सरहद मौजा–रास, तहसील–जैतारण में स्थापित हैं, कार्यरत हैं व उत्पादनरत हैं। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यो के लिए बतौर मैनेजर श्री अमरीश कुमार शर्मा नियुक्त व कार्यरत हैं। कम्पनी के द्वारा कृषि भूमि के लिए तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र वाद पत्र के साथ पेश की हैं। जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावें। सरहद मौजा–भींवगढ़, पटवार हल्का–रास–द्वितीय, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 2381 रकबा 12–11 बीघा किस्म सेवज अव्वल वाके हैं। जिसमें 5/16 हिस्से का वादी कम्पनी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 10 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार हैं। सभी हिस्सेदारों के मध्य मौके पर भूमि अलग–अलग बंटी हुई हैं व हिस्सानुसार सभी कब्जा व काश्त हैं व वादी खसरा नम्बर 2381 रकबा 12–11 बीघा किस्म सेवज अव्वल भूमि में 5/16 हिस्से की भूमि यानि 3 बीघा 18 बिस्वा 09 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई हैं व वादी कम्पनी का अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। मगर वादी व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज हैं व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई हैं। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग-अलग तरमीम की हुई नहीं हैं तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की हैं। जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2381 रकबा 12-11 बीघा किस्म सेवज अव्वल भूमि में 5/16 हिस्से की भूमि यानि 3 बीघा 18 बिस्वा 09 बिस्वांसी कृषि भूमि मौके पर अलग से बंटी हुई हैं। वादी का अलग से कब्जा व काश्त हैं व वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम रखने का तकासमा करवाने का कहा-मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 14/09/2014 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी हैं व प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हैं। वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 11 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त कृषि भूमि में लैण्ड होल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। प्रतिवादीगण सं 2/2 से 2/5 नाबालिग है जिसकी कुदरती वली माता फूमली बेवा बस्ती गुर्जर है तथा इसलिए नाबालिग के विरुद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व आदेश 32 नियम 03 सी .पी .सी के तहत न्यायालय से न्यायालय से अनुमति ली जाना आवश्यक है इसलिए वादी का वाद अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने से वाद पत्र के साथ अलग से आदेश 32 नियम 3 सपठित धार 151 सी .पी .सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रुप से नहीं जानती है इसलिए प्रतिवादीगण के नाबालिग या फौत होने की दिशा में वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिये संशोधन करने का अधिकारी रहेगा। बिनायवाद दिनांक 14/09/2014 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-रास में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 11 बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से ईकबालिया जबाबदावा पेश किया, जिसे. सा0मि0 किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने दौराने बहस व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, एवं दस्तावेजात मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, जिससे माफिक राजस्व रिकॉर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं, लिहाजा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर पक्षकारानों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से का बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि खसरा नम्बर 2381 रकबा 12-11 बीघा किस्म सेवज अव्वल भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/962 दिनांक 04/08/2017 एवं 1336 दिनांक 13/10/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक /भू0अ0/17/4252 दिनांक 24/08/2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 2381 रकबा 12-11 बीघा किस्म सेवज अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) जाति-ब्राह्मण उम्र-53 वर्ष निवासी हाल - मैनेजर श्री सीमेन्ट लि., रास खातेदार।	2381/1	3-18-00	से0अ0	3.90 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

2	डालचन्द पुत्र छीतरराम कौम–भांबी सा0 आदर्शनगर अजमेर, संगीता पुत्री दुर्गा कौम–भांबी, सा0 ब्यावर, बनवारी पुत्र रतनलाल कौम–नायक सा0 कोहिनूर मार्बल के पीछे गणेश कॉलोनी देलवाड़ा रोड़ ब्यावर, जिला–अजमेर 63/173 हि0, नितिन भाटी पुत्र सुन्दरलाल भाटी कौम–धोबी सा0 17 नवरंगनगर बैंक कॉलोनी ब्यावर हि0 63/173, श्रवण पुत्र चौथाराम हि0 80/1730, गणकीदेवी पुत्र कालूराम हि0 67/1730, धीरकीदेवी नोरतीदेवी पुत्री कालूराम हि0 13/1730 कौम–गुर्जर सा0 ढ़ाणी खेड़ा, रामा गिरधारी पि0 ऊँकार हि0 16/173 कौम–गुर्जर सा0 ढ़ाणी खेड़ा, रामगोपाल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लि0 पता 10ए अमर विजय कॉम्पलैक्स होटल मानसिंह के पास संचार चन्द्र रोड़ जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि संजय भण्डारी पुत्र श्री राजमल भण्डारी, जाति–जैन हि0 15/173 खातेदार।	2381 2381/2	6-06-00 2-07-00	से0अ0 से0अ0	8.65 रु.
योग		2	8-13-00	से0अ0	8.65 रु.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 16/10/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)